रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19032025-261698
CG-DL-W-19032025-261698

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 07] नई दिल्ली, मार्च 9—मार्च 15, 2025, शनिवार/ फाल्गुन 18—फाल्गुन 24, 1946
No. 07] NEW DELHI, MARCH 9—MARCH 15, 2025, SATURDAY / PHALGUNA 18—PHALGUNA 24, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025

सा.का.नि. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हैं या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में ज्येष्ठ चलचित्र-प्रदर्शक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ज्येष्ठ चलचित्र-प्रदर्शक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ चलचित्र-प्रदर्शक।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500 – 81100 रु.)।	अचयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	आवश्यक: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान और	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।

विभागीय अभियर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2.- रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो और टेलीविजन या इंस्ट्रूमेंटेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक डिग्री; और (ख) सभी प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड और सिनेमा प्रोजेक्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑडियो और वीडियो उपस्कर के रखरखाव और संचालन के लिए पांच वर्ष का अनुभव; या (ग) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान या विश्वविद्यालय से सिनेमैटोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक संचार या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का नियमित डिप्लोमा; तथा (घ) सभी प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड और सिनेमा प्रोजेक्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑडियो और वीडियो उपस्कर के रखरखाव और संचालन का ज्ञान, तीन वर्ष का अनुभव।		टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) **जिसके ना हो सकने पर** सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): **केन्द्रीय** सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वा**शासी** निकाय या **कानूनी** संगठन या **पब्लिक सेक्टर** उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी, - (क) (i) **जो** मूल **काडर** या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों**;** या	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

	(ii) **जिन्होंने** मूल **काडर** या विभाग में वेतन मैट्रिक्स **के** स्तर-2 (19900-63200 रु.) या **समतुल्य** में नियमित आधार पर **उस** पद पर नियुक्ति के **पश्चात** आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों। **टिप्पण 1.-** वेतन मैट्रिक्स **के स्तर -2** (19900-63200 रु.) में **ऐसे** विभागीय **कनिष्ठ चलचित्र प्रदर्शक**, **जिन्होंने उस श्रेणी** में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए **विहित शैक्षिक अर्हताएं** और अनुभव रखता हो, को बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाता है। यदि विभागीय **अभ्यर्थों का** पद पर नियुक्ति के लिए **चयन किया** जाता है; तो इसे **प्रोन्नति** द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, **साधारणतया** तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी - II या III, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य।	

[फा. सं. 23011/15/2024- पीटी]
चन्दन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2025

G.S.R 27—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Non-gazetted, Non-Ministerial Staff) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Projectionist in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Senior Projectionist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -**The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-** The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Projectionist.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500 – 81100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	Essential: (a)(i) 12th class pass with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognised Board; or (ii) Vocational in the Electronic or Radio and Television or Instrumentation or Information Technology from a recognised institute; and	Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration as prescribed by Central Government.

Note 1.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). Note 2.- The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	(b) Five years experience for maintenance and operation of all kinds of Liquid Crystal Display or Light Emitting Diode and Cinema Projectors, Public Address System, Audio and Video Equipment; or (c) Three years regular diploma in Cinematography or Electronic Communication or Electronic Instrumentation or Electrical and Electronics Engineering from a Government recognised Polytechnic institution or university; and (d) having knowledge of maintenance and operation of all kinds of Liquid Crystal Display or Light Emitting Diode and Cinema Projectors, Public Address System, Audio and Video Equipment, with three years experience.		

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract): Officer of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or recognised research institutes, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Group C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairperson; 2. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Member; 3. Administrative Officer Grade- II or III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy –	Not applicable.

	Note 1.- The departmental Junior Projectionist in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years of regular service in the grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2**.- The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Member.	

[F. No. 23011/15/2024-PT]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2025

सा.का.नि 28—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों, कैंटीन सहायक (गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन) भर्ती नियम, 2011, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों, गृह मंत्रालय में गैर- सांविधिक विभागीय कैंटीन, कैंटीन सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-**(1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालय, कैंटीन सहायक (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कैंटीन सहायक	44*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण । टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी भी प्रक्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा / तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष टिप्पण:- परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा आयोजित कम से कम तीन सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:- 1.जनगणना कार्य के संयुक्त निदेशक या जनगणना कार्य के उप निदेशक या अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - अध्यक्ष; 2. जनगणना कार्य के सहायक निदेशक(तकनीकी) या जनगणना कार्य के सहायक निदेशक - सदस्य; 3. किसी अन्य केन्द्रीय सरकार कार्यालय के समूह "क' अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-51011/1/2023-प्रशा.V]

एस.एन.शर्मा, निदेशक

(Office of the Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2025

G. S. R. 28—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union Territories, Canteen Attendant (Non Statutory Departmental Canteens) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Canteen Attendant in the Non Statutory Departmental Canteens of the Office of the Registrar General, India, Offices of the Directors of Census Operations in the States and Union territories, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, Offices of the Directors of Census Operations in the States and Union territories, Canteen Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Canteen Attendant.	44 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-1 in the pay matrix. (Rs.18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxation for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	10^{th} class pass from a recognised Board. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least three weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government in relevant field organised by the Office of the Registrar General, India.	direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Director of Census Operations or Deputy Director of Census Operations or Under Secretary, Office of the Registrar General - Chairman; 2. Assistant Director of Census Operations (Technical) or Assistant Director of Census Operations - Member; 3. Group 'A' officer of another Central Government office - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A 51011/1/2023-Ad.V]

S. N. SHARMA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.19 11:31:22 +05'30'